रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-24092026-276477
CG-MH-E-24092026-276477

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 568] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2026/भाद्र 31, 1948
No. 568] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2026/BHADRA 31, 1948

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 22 सितम्बर, 2026

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात तथा आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2026

सं. फेमा.23(आर)/(1)/2026-आरबी.—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7, धारा 8, धारा 10 की उप-धारा (6) तथा धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात तथा आयात) विनियमावली, 2026 [दिनांक 13 जनवरी 2026 की अधिसूचना सं. फेमा. 23(आर)/2026-आरबी], (जिसे इसके पश्चात 'मूल विनियमावली' कहा गया है), में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

(i) इन विनियमावली को विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात तथा आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2026 कहा जाएगा।

(ii) यह विनियमावली 1 अक्तूबर 2026 से लागू होगी।

2. विनियम 5 में संशोधन:

मूल विनियमावली के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के -

(क) उप-नियम (ए) और (बी) में, 'पंद्रह महीने' शब्दों के स्थान पर 'नौ महीने' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) पहली शर्त में, 'अठारह महीने' शब्दों के स्थान पर 'बारह महीने' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. मूल विनियमावली में, विनियम 13 के अंत में, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात् —

"बशर्ते कि 30 सितंबर 2026 तक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 के विनियम 16 के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सतर्कता सूची में शामिल निर्यातक, उस आदेश के तहत तब तक शासित होते रहेंगे जब तक निर्यातक को सतर्कता सूची से हटा नहीं दिया जाता।"

4. मूल विनियमावली में, विनियम 19 के अंत में, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात् —

"**20. प्राधिकृत व्यापारियों को अधिकार:** प्राधिकृत व्यापारी, 1 अक्टूबर 2026 से पहले किए गए माल और सेवाओं के निर्यात और आयात से संबंधित लेनदेन, साथ ही साथ मर्चेंटिंग व्यापार, को संभालेंगे, जिसके लिए अब तक विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015, मास्टर निदेश – माल और सेवाओं का निर्यात (विमुवि मास्टर निदेश सं. 16/2015-16, दिनांक 01 जनवरी 2016 को जारी और 17 जुलाई 2026 तक अद्यतन) और मास्टर निदेश – माल और सेवाओं का आयात (विमुवि मास्टर निदेश संख्या 17/2016-17, दिनांक 01 जनवरी 2016 को जारी और 12 जनवरी 2026 तक अद्यतन) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक की मंजूरी की आवश्यकता थी।"

एन. सेंथिल कुमार, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./337/2026-27]

पाद टिप्पणी: मूल विनियमावली, अधिसूचना सं. फेमा. 23(आर)/2026-आरबी दिनांक 13 जनवरी 2026, भारत सरकार के सरकारी राजपत्र- असाधारण – भाग-III, खण्ड 4, उप-खण्ड (i) दिनांक 15 जनवरी 2026 में प्रकाशित की गयी थी।

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd September, 2026

Foreign Exchange Management (Export and Import of Goods and Services) (Amendment) Regulations, 2026

No. FEMA 23(R)/(1)/2026-RB.—In exercise of the powers conferred by Section 7, Section 8, sub-section (6) of Section 10 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Export and Import of Goods and Services) Regulations, 2026 [Notification No. FEMA 23(R)/2026-RB dated January 13, 2026] (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), namely:

1. **Short title and commencement -**

(1) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export and Import of Goods and Services) (Amendment) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force from October 01, 2026.

2. **Amendment to regulation 5 -**

In the principal regulations, in regulation 5, in sub-regulation (1) -

(a) in clauses (a) and (b), for the words 'fifteen months', the words 'nine months' shall be substituted;

(b) in the first proviso, for the words 'eighteen months', the words 'twelve months' shall be substituted.

3. In the principal regulations, at the end of regulation 13, following shall be inserted, namely:-

> "Provided that the exporters in the Caution List, as on September 30, 2026, as per orders issued by the Reserve Bank under Regulation 16 of the Foreign Exchange Management (Export of Goods & Services) Regulations, 2015, shall continue to be governed by the said order till such time the exporter is removed from the Caution List."

4. In the principal regulations, after regulation 19, the following shall be inserted, namely:-

> "**20. Powers to Authorised Dealers:** Authorised Dealers shall handle transactions related to the export and import of goods and services, as well as merchanting trade, undertaken prior to October 01, 2026, which hitherto required approval of the Reserve Bank of India, under the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2015, Master Direction – Export of Goods and Services (FED Master Direction No. 16/2015-16, dated, January 01, 2016 as updated till July 17, 2026), and Master Direction – Import of Goods and Services (FED Master Direction No. 17/2016-17, dated, January 01, 2016 as updated till January 12, 2026)."

N. SENTHIL KUMAR, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./337/2026-27]

Footnote: The Principal Regulations, Notification No. FEMA 23(R)/2026-RB dated January 13, 2026, were published in the Official Gazette - Extraordinary - Part-III, Section 4 on January 15, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA